	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई।

तहसीलदार सिवाना से मौका रिपोर्ट प्राप्त।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की दलील है की विवादित भूमि में प्रार्थीगण का रहवासीय पक्के मकान बने हुए है परन्तु सर्वे रिसर्वे के दौरान प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि के पुराना खसरा सख्या 38 रकबा 3.5031 हैक्टेयर का नया खसरा संख्या 105 रकबा 3.5092 हैक्टेयर भूमि बना राजस्व कर्मचारियों द्वारा नवीन भू प्रबन्ध के दौरान प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि की तरमीम सहवन से पडौस में स्थित सरकारी भूमि खसरा संख्या 3244/128 में दर्शा दी जिसे दुरूस्त की जावे।

हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी व तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरता से अवलोकन एवं मनन किया। तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट से जाहिर है की प्रार्थीगण के नया खसरा संख्या 105 की सीमा खसरा संख्या 3244/128 रकबा 4.90 हैक्टेयर को सांझा करती है। तथा खसरा संख्या 3244/128 में निर्मित मकान की एक भुजा /दीवार खसरा संख्या 105 में आती है जो वास्तव में ग्रिड विचलन के कारण दर्शित हो रही है तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट अनुसार तरमीम में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है प्रार्थीगण का नवीन खसरा संख्या 105 का वर्तमान रकबा 3.5092 हैक्टेयर है जो अनुज्ञेय सीमा के अन्दर है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के आधार पर अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)